राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप 2) विभाग

क्रमांकः– प.35(6)साप्र/2/2006 जयपुर दिनांक 8/8/2016

–: परिपत्र :–

इस विभाग के परिपत्र क्रमांकः एफ 1(23)साप्र/2/88, जयपुर दिनांक 7.2.1990 के क्रम में लेख है कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास आवंटित हैं वे अपना स्थानान्तरण होने की सूचना आवंटन अधिकारी को समय पर प्रस्तुत नहीं करते हैं। नियमानुसार स्थानान्तरण होने पर अधिकारी/कर्मचारी एक माह तक राजकीय आवास में साधारण किराये की दर पर रहने के पात्र हैं। ऐसा देखा गया है कि उक्त अवधि समाप्त होने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा राजकीय आवास निर्धारित समय पर रिक्त नहीं किया जाता है तथा वे आवंटित आवास में बिना राज्य सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किये अनाधिकृत रूप से निवास करते रहते हैं तथा इस अवधि के दौरान या आवास रिक्त करने के पश्चात् अनाधिकृत आवास अवधि को साधारण किराये की दर पर नियमित करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि स्थानान्तरण के पश्चात् निर्धारित अवधि में निश्चित रूप से राजकीय आवास रिक्त कर दिया जावे। निर्धारित अवधि के बाद में किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में राजकीय आवास में रहना आवश्यक होने पर यह आवश्यक है कि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त की जाये। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना अनाधिकृत रूप से राजकीय आवास में रहने के बाद साधारण किराये की दर पर आवास में रहने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। नियमों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के पश्चात् राजकीय आवास रिक्त नहीं करने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध आवास रिक्त करवाने तथा पैनल रेन्ट वसूल करने व राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है।

इस सम्बन्ध में समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है, कि उनके यहां पर जो भी अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं, तथा जिनको राजकीय आवास आवंटित है, उनके स्थानान्तरण होने पर संबंधित आवास आवंटन अधिकारी को आवंटित आवास संख्या इंगित करते हुए 10 दिवस में कर्मचारी/अधिकारी के स्थानान्तरण की सूचना आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें, ताकि राजकीय आवास निश्चित समयावधि में रिक्त कराया जा सके एवं अनाधिकृत रूप से निवासरत रहने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों से पैनल रेन्ट से किराया वसूल करने व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सके।

इस सम्बन्ध में कृपया अपने समस्त अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को भी आवश्यक निर्देश प्रसारित करने तथा इस सम्बन्ध में जारी किए गए आदेशों से इस विभाग को भी अवगत कराने का श्रम करें।

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिवगण/प्रमुख शासन सचिवगण/विशिष्ट शासन सचिवगण/शासन सचिवगण।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त कलक्टर।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग/प्रकोष्ठ।
10. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान।

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव